

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(मुरारी लाल शर्मा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक:-

06 / 2016
13.05.2016

झयनारायण जोशी पुत्र सीताराम जोशी जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड संख्या 11 ब्रह्म
अखाडा टोडारायसिंह जिला टोंक राज०

....अपीलांत

बनाम

- 1-नगर पालिका टोडारायसिंह जरिये अधिशाषी अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक राज०
- 2-चेतन कुमार जैन अधिशाषी अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक राज०
- 3-दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शर्मा ब्रह्म अखाडा टोडारायसिंह जिला टोंक राज०

.....रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 327 राज० नगर पालिका अधिनियम 2009 विरुद्ध पत्रावली संख्या 341/2012-13 में पारित अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा अपने आवासीय भवन को राज्य सरकार के परिपत्रों के तहत राज० स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत पट्टा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमा दिया से व्यथित होकर

- उपस्थित: (1) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अपीलांत
(2) श्री कैलाश अहूलवालिया, अभिभाषक रेस्पा. संख्या 1 व 2
(3) श्री देवी प्रकाश तिवाडी, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3

निर्णय

दिनांक 15.09.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह ने अपीलांत द्वारा स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पुरतैनी मकान का पट्टा चाहने हेतु दिनांक 07.02.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 04.01.2016 से अस्वीकार किया गया है। अपीलांत ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 ने जवाब पेश किया कि अपीलार्थी ने गलत रूप से अपील पेश की है। नगर पालिका टोडारायसिंह के अधिशाषी अधिकारी द्वारा दिनांक 04.01.2016 को सही निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी के स्टेट ग्रांट एक्ट



मुरारी लाल शर्मा
टोंक

तहत प्रस्तुत पट्टे के आवेदन को खारिज किया है। क्योंकि अपीलार्थी का आवेदन स्टेट ग्रान्ट के पट्टे की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये आवेदन में लम्बाई चौड़ाई व सीमाये की जगह खाली छोड़ी गई है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी चाहे गये पट्टे की नाप-चौप से वाकिफ नहीं है एवं आवेदन के चरण संख्या 2 में पत्ति का नाम खाली छोड़ा गया है, जबकि फोटो में पत्ति मौजूद है और उसकी फोटो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के पास है। स्टेट ग्रान्ट के पट्टे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कामजात अपीलार्थी ने संलग्न नहीं किये हैं, इस कारण अपीलार्थी ने अपना आवेदन स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के नियमानुसार नहीं किया है। अपीलार्थी ने भवंरी देवी के संबंध में कोई सजरा भी पेश नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो कि अपीलार्थी भवंरी देवी का किस प्रकार से वारिस है। राज्य सरकार द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अनुसार जो पट्टे जारी करने का अभियान चलाया था, वह पात्रता रखने वाले व पुरतैनी सम्पत्तियों के संबंध में चलाया था। अपीलार्थी ने रेसपो. संख्या 2 व 3 को गुमराह कर मात्र पट्टा प्राप्त करने की नियत से उक्त आवेदन पेश किया है, जिसे नियमानुसार खारिज किया गया है। अपीलार्थी स्थायी रूप से ग्राम खरेडा का निवासी है। खरेडा की मतदाता सूची में एवं जमावदियों में अपीलार्थी के पिता एवं पूर्वजों का नाम दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्थायी रूप से ग्राम खरेडा का निवासी है और भवंरी देवी के जीवनकाल में कभी भी ग्राम टोडारायसिंह में नहीं रहा है और ना ही भवंरी देवी की कोई सेवा की है। भवंरी देवी की मृत्यु दिनांक 03.04.1984 के बाद ही अपीलार्थी ने फर्जी वसीयत तैयार की है। भवंरी देवी ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है। अपीलार्थी ने बाद में षडयंत्र पूर्वक भवंरी देवी की उक्त सम्पत्ति को हड़प करने की नियत से वसीयत तैयार कर उक्त पट्टे का आवेदन पेश किया है, जिसे नियमानुसार खारिज किया गया है।

प्रकरण में अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि राज्य सरकार ने स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 01.01.1965 (सामान्य वर्ग) से पूर्व कच्चा/पक्का निर्माण एवं कब्जे से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे गये थे जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी दिनेश जोशी ने संवत् 2001 जो कि सन् 1944 के बराबर है, में टोडारायसिंह का सिटी सर्वे किया गया की सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी पुत्र श्री रामगोपाल के पिताजी श्री भूरालाल जी वल्द श्री विजय लाल जी के नाम से नगर पालिका टोडारायसिंह के सिटी सर्वे में नाम अंकित है जो आपत्ति के साथ संलग्न है एवं मूल पत्रावली में भी संलग्न था जो आधार न मानकर एकमात्र आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा द्वारा वर्ष 1975, 1980 व 1983 की मतदाता सूचियों को टोस सवृत माना जाकर मनमानी की है जबकि सामान्य अवधारणा यह होती है कि एक व्यक्ति के पास अगर कई जगह या अलग-अलग गाँव में अचल सम्पत्ति होती है तो उसमें से एक ही जगह मतदाता सूची में नाम अंकित किया जाता है अन्य स्थानों पर मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं किया जा सकता। इससे यह अवधारित नहीं किया जा सकता है कि वह व्यक्ति दूसरे स्थान पर निवासी नहीं करता है और वह उस सम्पत्ति का मालिकाना अधिकार नहीं रखता हो। प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी के नाम कृषि भूमि ग्राम बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक पर भी अवस्थित है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि श्री सीताराम जोशी का उसका कोई उत्तराधिकारी उक्त भूमि का मालिकाना हक खो दिया है क्योंकि उसका नाम मतदाता सूची में ग्राम खरेडा में ही है। इसलिये उसका वहाँ कोई अधिकार या मालिकाना हक नहीं रहा हो। इसी प्रकार प्रार्थी दिनेश




बातारसद जिला टोंक
टोंक

जोशी के पिता सीताराम जोशी के कब्जे की पुश्तैनी भूमि कस्बा टोडारायसिंह नगरपालिका क्षेत्र टोडारायसिंह के ब्रह्म अखाडा वार्ड नं. 4 में स्थित है जिसका यह मतलब यह नहीं है कि प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता का यहाँ कोई अधिकार नहीं रहा हो और स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा लिये जाने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी के पिता श्री रामगोपाल जोशी एवं उनके भाई ने वर्ष 1947 में उक्त आवासीय मकान में दो दुकानें जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.05.1947 केता के हक में विक्रय कर उक्त दुकानों का कब्जा सुपुर्द किया एवं उक्त दुकानें वर्तमान में भी उक्त ब्रह्मअखाडे क्षेत्र में अवस्थित है। इससे भी स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी के पिता श्री रामगोपाल जोशी का मकान पर कब्जा था। इस तथ्य पर गौर न कर अधिशापी अधिकारी जिसके विरुद्ध शिकायत की है ने मनमाना आदेश जारी किया जिससे स्पष्ट है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया। प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी ने प्रार्थी दिनेश जोशी के उक्त आवासीय भवन के दक्षिण की ओर अवस्थित पैतृक सम्पत्ति में से वर्ष 1984 में जरिये इकरारनामा दिनांक 10.06.1984 को ब्राह्मण धर्मशाला एवं गायत्री मंदिर के लिए निःशुल्क दान कर ब्राह्मण को वास्तविक कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं उक्त ब्राह्मण धर्मशाला एवं गायत्री मंदिर वर्तमान में भी अवस्थित है। इस तथ्य पर भी अधिशापी अधिकारी ने गौर न कर पद का दुरुपयोग किया है। वर्ष 1991 में प्रार्थी दिनेश जोशी ने अपने हिस्से में आयी हुई अपनी उक्त आवासीय सम्पत्ति में 20-एचपी से चलने वाली विद्युत मोटर ऑयल मील लगाने के वास्ते कार्यालय नगर पालिका टोडारायसिंह में एनओसी प्राप्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र/नक्शा प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर नगर पालिका, टोडारायसिंह कार्यालय द्वारा दिनांक 17.12.1991 को प्रार्थी दिनेश जोशी के हक में एनओसी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया जिससे यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रार्थी दिनेश जोशी को उक्त आवासीय भवन अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। जिसका नक्शा पूर्व में ही पत्रावली के साथ संलग्न है। इससे भी स्पष्ट है कि अधिशापी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है।

प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त आवासीय भवन में बिजली एवं पानी का कनेक्शन की एन.ओ.सी. भी नगर पालिका, टोडारायसिंह से दिनांक 01.10.1985 से ले रखी हैं। जिसका अपीलार्थी निरन्तर रूप से बिल भी जमा करा रहा है साथ ही अपीलार्थी के पिता द्वारा नगरपालिका टोडारायसिंह में गृह कर भी नियमित रूप से जमा करवाये हैं। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि उक्त आवासीय भवन सहित अपीलार्थी की अन्य पैतृक सम्पत्ति पर अपीलार्थी एवं उसके परिवार का पिछले लगभग 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों से बतौर स्वामी एवं मालिक वास्तविक कब्जे में बिना किसी वाद, विवाद, अवरोध, बाधा के निर्विवाद, निर्वाद एवं निरन्तर रूप से चला आ रहा है जिसका वह शांतिपूर्वक उपभोग एवं उपयोग करता आ रहा है। प्रार्थी दिनेश जोशी ने राज्य सरकार की उक्त उदारीकरण की नीति एवं प्रकरण के त्वरित निराकरण के उक्त कार्यक्रम में दिनांक 07.02.2013 को अधिशापी अधिकारी के समक्ष अपने उक्त आवासीय भवन जिसका पूर्ण विवरण शिकायत के पैरा संख्या 2 में अंकित है, का पट्टा राज्य सरकार की उक्त लोकप्रिय नियमितिकरण नीति के तहत जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेजात प्रस्तुत किये। प्रार्थी दिनेश जोशी ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपने दो पड़ोसियों श्री नाथुलाल पुत्र श्री नंदलाल, जाति माली, आयु 75 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 14, ब्रह्मअखाडा, टोडारायसिंह, जिला टोंक एवं श्री भंवर लाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति तेली, आयु 75 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 11, ब्रह्मअखाडा, टोडारायसिंह, जिला टोंक के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये जिनमें शपथकताओं ने यह




बांवारसत जिला कलेक्टर
टोंक

सत्यापित किया कि प्रार्थी दिनेश जोशी अपने उक्त आवासीय मकान में अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है तथा शपथकर्ता प्रार्थी दिनेश जोशी एवं अपने पूर्वजों को उक्त आवासीय मकान में लगभग 40-45 वर्षों से रहते हुये देख रहे हैं।

आदेश दिनांक 15.09.1983 एवं आदेश दिनांक 26.02.2010 के प्रावधानों के अवलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि यदि किसी आवेदनकर्ता ने उक्त आदेशों में अंकित कोई भी एक दस्तावेज अपने कब्जे को साबित करने के लिए प्रस्तुत कर दिया है तो ऐसे आवेदनकर्ता को उक्त आदेशों के तहत पट्टा जारी कर दिया जायेगा। सर्वप्रथम तो प्रार्थी दिनेश जोशी ने हर दृष्टिकोण से उक्त आदेशों के तहत निर्धारित समयावधि अर्थात् 40 वर्षों से पूर्व का अपना वास्तविक कब्जा साबित किये जाने हेतु पर्याप्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। दूसरा प्रार्थी दिनेश जोशी ने दो ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु लगभग 75 वर्ष है के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये जिसमें उक्त दोनों व्यक्तियों ने स्पष्ट रूप से सशपथ यह बयान दिया कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने प्रार्थी दिनेश जोशी को उक्त आवासीय भवन पर पिछले 40-45 वर्षों से निवास करते हुये देखा है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों शपथ पत्र उक्त आदेशों के तहत प्रार्थी दिनेश जोशी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये जो कि उक्त आदेशों की पर्याप्त अनुपालना है क्योंकि प्रार्थी दिनेश जोशी के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था कि वह अन्य कोई दस्तावेज अधिशाषी अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष अपने कब्जे को साबित किये जाने के लिए प्रस्तुत करता क्योंकि उक्त आदेशों में दो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का शपथ पत्र भी मान्य होना अभिनिर्धारित/प्रावधानित किया गया है, लेकिन अधिशाषी अधिकारी, टोडारायसिंह ने गौर नहीं करके राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 की खुली अवहेलना की है जो कि किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है एवं राज्य सरकार की अवहेलना में पारित किया गया चुनौति आदेश दिनांक 04.01.2016 सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अधिशाषी अधिकारी, टोडारायसिंह ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था केवल प्रार्थी दिनेश जोशी से अपनी पुरानी रंजीश निकालने के लिए आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा ने अधिशाषी अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की। इस संबंध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा स्वयं द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका को लगभग 14-15 वर्ष पूर्व एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि पुराना वार्ड नं. 4 (वर्तमान में 11) नानू के मकान से धर्मशाला तक जो सीसी रोड बनाया जा रहा था वह प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी की निजी सम्पत्ति है वहां सार्वजनिक रास्ता नहीं है यह रास्ता केवल सीताराम जोशी के मकान में जाने के लिए छोड़ा गया है इस कारण से यहां पर सीसी रोड का निर्माण नहीं किया जा सकता। अधिशाषी अधिकारी, टोडारायसिंह ने डिक्री दिनांक 22.07.2005 पर भी अवलोकन नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी ने आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा के विरुद्ध एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 24/2005 माननीय न्यायालय सिविल न्यायधीश टोडारायसिंह के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 22.07.2005 को राजीनामा की डिक्री पारित हुई जो निम्न प्रकार है :-

“ राजीनामानुसार वादी के पूर्वजों के समय का भूखण्ड नौहरा बाडा वाके ग्राम मौजा वार्ड नं. 4 कस्बा टोडारायसिंह में स्थित है। जिसमें स्वामित्व का लेकर विवाद था। उस भूखण्ड नौहरा बाडा को प्रतिवादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद लिया था जिससे प्रतिवादी उक्त भूखण्ड नौहरे का मालिक है।”



बाबुलाल प्रकाश ठाकुर
टॉक

अधिशायी अधिकारी के समक्ष जो पत्रावली लम्बित थी जो उसमें दिनांक 18.12.2013 को नगर पालिका, टोडारायसिंह द्वारा नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 20.12.2013 को उपस्थित होने का समय लिया गया। दिनांक 20.12.2013 को प्रार्थी दिनेश जोशी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया उसके बाद सुनवाई के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी। तत्समय पश्चात अधिशायी अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया उसके पश्चात सन् 2015 में श्री चेतन कुमार जैन द्वारा अधिशायी अधिकारी का पद ग्रहण करते हुए उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं गई तथा बिना सुनवाई नोटिस दिये पत्रावली का निस्तारण किया गया जबकि दिनांक 04.01.2016 से 31.01.2016 तक नगर पालिका टोडारायसिंह के निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा से मिलीभगत कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्रावली का निस्तारण कर दिया।

अप्रार्थी संख्या 3 जिसका प्रार्थी के आवासीय भवन से किसी प्रकार से कोई लेना देना, सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है के द्वारा झूठे, मिथ्या, एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेज एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र के जवाब को नजर अंदाज कर बिना प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये एवं बिना संबंधित विधि एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों के प्रावधानों के अवलोकन एवं परीक्षण किये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निरस्त कर दिया, जबकि प्रार्थी अपने आवासीय भवन को नियमित करवाकर पट्टा जारी करवाये जाने के लिए पूर्णतया योग्य है। अतः अधिशायी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने जवाबी बहस में कथन किया कि अपीलांत द्वारा प्रशासन शहरो के संग अगियान 2012-13 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वार्ड नं. 11 में स्टेट ग्रान्ट के तहत पुस्तैनी मकान का पट्टा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2013 को प्रस्तुत किया गया है। पालिका द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक आपत्ति सूचना राज्य स्तरीय न्यूज पेपर में प्रकाशित कर आपत्ति आमंत्रित की जाने पर अन्दर मियाद एक आपत्ति श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शर्मा निवासी टोडारायसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांत द्वारा अपने स्वयं का पुस्तैनी मकान होने के संबंध में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलांत द्वारा सन् 1961 की मतदाता सूची पेश की गई है, जिसमें सीताराम व उनके बाप-दादाओं का नाम अंकित नहीं है और जिनके नाम के आधार पर यह पट्टा बनवाना चाह रहे हैं इनका इनसे दूर तक किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अपीलांत तो ग्राम खरेडा का निवासी है। इस संबंध में रेस्पो. संख्या 3 ने साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये हैं। अधिशायी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह ने पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात एवं सबूतों का अवलोकन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 ने जवाबी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने गलत रूप से अपील पेश की है। नगर पालिका टोडारायसिंह के अधिशायी अधिकारी द्वारा दिनांक 04.01.2016 को सही निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी के स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत प्रस्तुत पट्टे के आवेदन को खारिज किया है। क्योंकि अपीलार्थी का आवेदन स्टेट ग्रान्ट के पट्टे की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये आवेदन में लम्बाई चौड़ाई व सीमाये की जगह खाली छोड़ी गई है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी चाहे गये पट्टे की नाप-चौप से



दावांरकत जिला टोंक
टोंक

वाकिफ नहीं है एवं आवेदन के चरण संख्या 2 में पत्नि का नाम खाली छोड़ा गया है, जबकि फोटो में पत्नि मौजूद है और उसकी फोटो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के पास है। अपीलार्थी ने भंवरी देवी के संबंध में कोई राजरा भी पेश नहीं किया है, जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी भंवरी देवी का किस प्रकार से वारिस है। राज्य सरकार द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अनुसार जो पट्टे जारी करने का अभियान चलाया था, वह पात्रता रखने वाले व पुश्तैनी सम्पत्तियों के संबंध में चलाया था। अपीलार्थी ने रेसपो. संख्या 1 व 2 को गुमराह कर मात्र पट्टा प्राप्त करने की नियत से उक्त आवेदन पेश किया है, जिसे नियमानुसार खारिज किया गया है। अपीलार्थी स्थायी रूप से ग्राम खरेडा का निवासी है। खरेडा की मतदाता सूची में एवं जमाबंदियों में अपीलार्थी के पिता एवं पूर्वजों का नाम दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्थायी रूप से ग्राम खरेडा का निवासी है और भंवरी देवी के जीवनकाल में कभी भी ग्राम टोडारायसिंह में नहीं रहा है और ना ही भंवरी देवी की कोई सेवा की है। भंवरी देवी की मृत्यु दिनांक 03.04.1984 के बाद ही अपीलार्थी ने फर्जी वसीयत तैयार की है। भंवरी देवी ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं है। अपीलार्थी ने बाद में षडयंत्र पूर्वक भंवरी देवी की उक्त सम्पत्ति को हड़प करने की नियत से तैयार कर उक्त पट्टे का आवेदन पेश किया है, जिसे अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा नियमानुसार खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 04.01.2016 को आदेश पारित कर अपीलांत द्वारा स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पुश्तैनी मकान का पट्टा चाहने हेतु दिनांक 07.02.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 18.12.2013 को आपत्तिकर्ता को नोटिस जारी कर मूल दस्तावेजात के साथ वास्ते सुनवाई व जवाबदेय हेतु दिनांक 20.12.2013 को समय दोपहर 12.00 बजे कार्यालय हाजा में उपस्थित होने बाबत सूचित करते हुये नोटिस की प्रति अपीलांत को भी प्रेषित कर अपने मूल दस्तावेजात के साथ उपस्थित होने बाबत सूचना दी गई है और अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि दोनों पक्षों को वास्ते सबूत व जवाबदेह हेतु तलब किये जाने पर दोनों पक्षों द्वारा अपना पक्ष में सबूत पेश किये गये हैं, जो पत्रावली में संलग्न हैं, परन्तु अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह की पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि पत्रावली के साथ नोटशीट/कार्यालय टिप्पणी अथवा आर्डरशीट संलग्न नहीं है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि पक्षकारान किस दिनांक को कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा और किस दिनांक को मूल दस्तावेजात प्रस्तुत किये हो। पक्षकारान को दिनांक 20.12.2013 को समय दोपहर 12.00 बजे कार्यालय हाजा में उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया है और निर्णय दिनांक 04.01.2016 को पारित किया गया है।

दिनांक 20.12.2013 को दोनों पक्ष कार्यालय में उपस्थित हुए या नहीं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। सुनवाई नोटिस दिनांक 20.12.2013 जारी करने के 2 वर्ष से भी अधिक समय बाद निर्णय दिनांक 04.01.2016 को पारित किया गया है। उक्त पत्रावली 2 वर्ष से भी अधिक समय तक किन कारणों व किस स्टेज पर लम्बित रही पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। यदि किन्हीं कारणों से पत्रावली लम्बित भी रही तो निर्णय दिनांक 04.01.2016 पारित करने से पूर्व दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया



दावाकर्ता का कलकत्ता
- दंड

जाना चाहिये था। पक्षकारो को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करना न्याय का प्रथम सिद्धान्त है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरुद्ध आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अतः अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना इसी विन्दू पर उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान दिनांक 04.10.2021 को अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह के समक्ष समय 10.00 ए.एम.पर उपस्थित हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



15-9-2021
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोकें